भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1168

(जिसका उत्तर सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

गैर-चिट-फंड कंपनियां

1168. श्री एस.ज्ञानतिरावियमः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कई गैर-चिट फंड कंपनियां चिट फंड कंपनियों के रूप में कार्य करके जनता के धन का दुरुपयोग कर रही हैं जिससे कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है; और
(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामलों में जांच की गई और कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा जुर्माना लगाया गया?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है जबकि चिट फंडस को चिट फंड अधिनियम, 1982 (अधिनियम) के तहत विनियमित किया जाता है। चिट फंड कंपनियां चिट के रजिस्ट्रारों से पंजीकरण प्राप्त करने के बाद संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अपना व्यवसाय करती हैं। इस अधिनियम में बिना पंजीकरण के चिट व्यवसाय करने वाली गैर-चिट कंपनियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए धारा 76 में दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं। इसके लिए, कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित चिट्स रजिस्ट्रार को है।

******